# न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधि  टना।

ई0सी0 अपील वाद सं0—12/2016—17

गोपाल कुमार चौधरी **बनाम** राज्य

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

## आदेश

प्रस्तुत अपील वाद गोपाल कुमार चौधरी, पिता अर्जुन चौधरी, सा0— झुनझुनवाला रोड, दानापुर कैंट, जिला—पटना जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता, छावनी परिषद दानापुर, वार्ड नं0 06, अनुज्ञप्ति सं0 12/07(रद्द) ने अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 675(आ0) दिनांक 18.06.2016 के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश की धारा—11 एवं 15 के अंतर्गत दिनांक 11.07.16 को दायर किया। वाद प्रतिग्रहित हेतु दिनांक 12.08.16 निर्धारित किया गया। अभिलेख अवलोकन किया। दिनांक 10.02.18 को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर, वाद प्रतिग्रहित किया गया। निम्न न्यायालय का अभिलेख मांगते हुए, अगली तिथि 27.03.18 निर्धारित की गयी। दिनांक 27.03.2018 को उभय पक्ष उपस्थित हुए। निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त।

अपीलकर्ता ने अपने अपील आवेदन में अंकित किया है कि वर्ष 1995 में अनुज्ञप्ति मिलने के बाद वर्ष 2016 तक उनके द्वारा निष्ठापूर्वक दुकान का संचालन किया। किसी भी कार्डधारक उनके विरूद्ध कोई भी शिकायत की गयी। दिनांक 07.06.2016 को आपूर्ति निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान अपीलकर्ता की दुकान इसलिए बंद पायी गयी, क्योंकि वे अचानक बीमार थे। उनके द्वारा इस आशय की सूचना दुकान के बाहर अंकित की गयी थी। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में भी इस तथ्य का जिक्र किया है। जिस पर विचार नहीं किया गया। अपीलकर्ता का आगे कहना है कि वे गरीब परिवार से सम्बन्ध रखते हैं एवं उनका पूरा परिवार जन वितरण प्रणाली दुकान पर आश्रित है।

उनके द्वारा अंत में अनुरोध किया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए, उनकी अनुज्ञप्ति पुनः बहाल की जाए।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील अपील आवेदन में अंकित बातों को दुहराते हुए कहा गया कि दुकान बंद पाया जाना अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता है। इस आधार पर अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने का आदेश विधि सम्मत नहीं है। उनके द्वारा अपील स्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि दिनांक 03.06.2016 को अनुमण्डल स्तर पर जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की बैठक आयोजित कर

दिनांक 07.06.2016 को दानापुर प्रखण्ड अंतर्गत जन वितरण प्रणाली दुकान की जांच की सूचना दिए जाने के बावजूद अपीलकर्ता द्वारा दुकान बंद रखा जाना, उनकी घोर अनुशासनहीनता एवं अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना का परिचायक है एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2011 सम्प्रति सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उनका यह कृत्य इस तथ्य को भी परिलक्षित करता है कि उनके द्वारा दुकान के संचालन में अनियमितता की गयी, जिससे बचने हेतु निदेश/सूचना के बावजूद उन्होंने जान बूझकर दुकान बंद रखा। अनुमंडल कार्यालय, दानापुर द्वारा पारित आदेश नियम संगत है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजात, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क के परिशीलन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दानापुर प्रखण्ड अंतर्गत पूर्व से दुकानों की जाँच का कार्यक्रम 07.06.2016 को पूर्व निर्धारित था, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इसकी सूचना अपीलकर्ता सहित अन्य विक्रेताओं को अनुमंडल स्तर पर 03.06.2016 को बैठक के माध्यम से दी गयी। अपीलकर्ता ने जान बूझकर अपनी दुकान बंद रखा। उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद पाते हुए, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 675(आ0) दिनांक 18.06.2016 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

**लेखापित एवं संशोधित।**

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।